फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : प्यारा उर्फ प्यारचन्द **विपक्षी : डालु**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 02/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.02.2018 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान 2018 में तलब की गई। प्रार्थी व विपक्षी उपस्थित। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। विपक्षी सं. 1 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार मावली द्वारा भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार यिका जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में जेराम पिता डुंगा अंकित हैं जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्यारा उर्फ प्यारचन्द हैं। अतः राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। हमने दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति के अवलोकन से प्रार्थी के सभी दस्तावेज में प्रार्थी का ना प्यारा एवं प्यारचन्द अंकित हैं जबकि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम जेराम दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 जो प्रार्थी का सगा भाई होकर स्वयं उपस्थित रहकर जेराम व प्यारा एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। राजस्व रेकार्ड में नाम गलत अंकित होने से राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–:आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा जोधाणा पटवार हल्का बडगांव की आराजी नम्बर 123, शा.न. 134, 129, 139 किता 3 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का नाम जेराम पिता डुंगा के बजाय जेराम उर्फ प्यारा उर्फ प्यारचन्द पिता डुंगा संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान में सुनाया गया। (जितेन्द्र ओझा) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	